न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

...सीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

...कदमा नम्बर – 49/2016

1. भागरथ
2. सुभाष
3. हरीराम पुत्रगण स्व0 सुवाराम
4. मनोहरी बेवाह सुवाराम
5. माना
6. चावली पुत्रियां स्व0 सुवाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नं. 37 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

वादी/प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार पदेन भूमि अधिकारी महोदय फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. मदनलाल पुत्र स्व0 सुवाराम जाति जाट निवासीगण वार्ड नं. 37 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 व सपठित आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राज. का. अधिनियम

सत्यमेव जयते

उपस्थित अधिवक्ता

श्री मनोज छकड़ा – वादीगण

Web Copy Not Official

निर्णय दिनांकः–11.01.2019

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 की एक पैत्रिक कृषि भूमि खसरा नंबर 739 रकबा 2.86 हैक्टेयर कस्बा फतेहपुर में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद उसके हिस्से अनुसार दर्ज हो चुकी है।

उक्त कृषि के रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता/पति का नाम संवत 2026 से 2029 की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के इन्द्राज नामान्तरण संख्या 752 के अनुसार सुवाराम पुत्र देवाराम दर्ज हुआ था एवं उसी अनुरूप आगे जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033, 2034 से 2037, 38 में भी दर्ज होता चला आ रहा था परन्तु उसके बाद संवत् 2043 से 2046 की जमाबन्दी में बिनी किसी आदेश व बिना नामान्तरण गलत रूप से सुवाराम पुत्र देवाराम के स्थान पर उक्त भूमि की खातेदारी सुखाराम पुत्र देवाराम कलम की गलती से दर्ज हो गई। इस "स्लिप ऑफ पेन" के कारण आज तक जमाबन्दियां सुखाराम के नाम से चली आ रही थी एवं वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के राजस्व रिकार्ड में वल्दियत भी सुवाराम की जगह सुखाराम ही दर्ज हो गई जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता/पति का सही व वास्तविक नाम सुवाराम ही है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

इस सबंध में दिनांक 19.05.2016 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर उक्त गलत ई की जानकारी वादीगण को दिनांक 19.05.2016 को हुई। अतः वादीगण को दिनांक 19. .16 से उपरोक्त वाद कारण प्राप्त है।

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित फरमाया जावे कि वो कस्बा फतेहपुर की तन में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 739 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा अर्थात 2.86है. में दर्ज वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता का नाम सुखाराम के स्थान पर सुवाराम दर्ज किया जावे।

मिसल मुर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुआ एवं इकबाली जवाब दावा पेश किया। तहसीलदार, फतेहपुर से प्रकरण में जवाब तलब किया गया। तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा जरिये पत्रांक 996 दिनांक 27.04.2018 के प्रकरण में जांच रिपोर्ट पेश की। वकील वादीगण की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली एवं तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का भली भांति अवलोकन किया। वकील वादीगण बहस पर मनन किया। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में वादीगण/प्रतिवादी संख्या 2 के पिता/पति का नाम सुवाराम दर्ज है। वाद वादी डिकी किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिकी किया जाकर कस्बा फतेहपुर की तन में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 739 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा अर्थात 2.86है. में दर्ज वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता/पति का नाम सुखाराम के स्थान पर सुवाराम उदघोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर

निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

(रेनू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी..................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............रेनू मीणा (आर.ए.एस..)..

1. भागरथ
2. सुभाष
3. हरीराम पुत्रगण स्व0 सुवाराम
4. मनोहरी बेवाह सुवाराम
5. माना
6. चावली पुत्रियां स्व0 सुवाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नं. 37 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

वादी / प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार पदेन भूमि अधिकारी महोदय फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. मदनलाल पुत्र स्व0 सुवाराम जाति जाट निवासीगण वार्ड नं. 37 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 व सपठित आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राज. का. अधिनियम

मुकद्दमा नं.....49...........................सन्....2016..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.........मेरे...

व हाजिरी...श्री मनोज छकड़ा एडवोकेट........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू....... मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि कस्बा फतेहपुर की तन में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 739 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा अर्थात 2.86है. में दर्ज वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता / पति का नाम सुखाराम के स्थान पर सुवाराम उदघोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। रहन खातेदारान बदस्तुर रहेगा।

Web Copy - Not Official

निज........– ....मुबलिग................–......................बाबत........................–.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह.................–...........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख अदायगी तक..का अदा करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

...आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....11......माह ......जनवरी ....सन् 2018 ...गई।

दस्तखत...

ओहदा.. उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	3			–	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं।